

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2185 / 2019 दिनांक : 31.10.19

श्री विवेक शर्मा (RJ0650), विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज), भरतपुर को दिनांक 18.11.2019 से 20.11.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.11.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज), भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


31.10.19

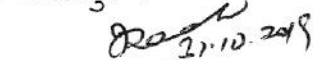
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/18/2011/ 10245

दिनांक : 31.10.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 6883 दिनांक 10.10.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री विवेक शर्मा (RJ0650), विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज), भरतपुर।
4. विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट कैसेज), भरतपुर।
5. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर।


21.10.2019
सहायक रजिस्ट्रार